उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के तहत थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को चौपाल/ पुलिस की पाठशाला लगाकर/स्कूलों में नारी सुरक्षा,नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर जागरूक किया गया।

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश पंसल के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान के फेज-5" के तहत जनपद महोबा में आज दिनांक- 05.10.2024 को जनपद के थानों पर पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर, महिलाओं /बालिकाओं/ छात्राओं को नारी सुरक्षा,नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में जनपद की एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों/कस्बों/प्रमुख बाजारों/मन्दिर/शापिंग मॉल बीट क्षेत्र/ग्राम पंचायत/वार्ड/मोहल्लों/ स्कूल/ कालेज आदि के आस-पास गश्त/चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक कर उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता करना, सार्वजनिक स्थानो पर घूम रहे शोहदो को चेतावानी देना, महिलाओ से संबंधित अपराध व अपराध से संबंधित सजा के बारे में जागरुक करना, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहो व साइबर क्राइम के विषय में व महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय मे पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूक किया गया।

इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की एन्टी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के सम्बन्ध में जागरुक करते हुए बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति से अपना ओटीपी शेयर न करें। यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह भी मौजूद रहीं।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 04.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह कां जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त विजय अहिरवार पुत्र ऊदल अहिरवार उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम हसला थाना अजनर जनपद महोबा वर्तमान पता गांधी आश्रम के पीछे जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा संबंधित परिवाद सं 247/2021 धारा 138 NI ACT में मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विजय अहिरवार पुत्र ऊदल अहिरवार उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम हसला थाना अजनर जनपद महोबा वर्तमान पता गाँधी आश्रम के पीछे जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2. कां0 जयप्रकाश सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.10.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 04.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 चेतराम मय हमराह हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गुड्डन उर्फ संतोष सिंह पुत्र मुन्नालाल उर्फ देवपाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम घण्डुवा थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं0 1801/2003 मु0अ0सं0 168/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम में मा0 न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम घण्डुवा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुड्डन उर्फ संतोष सिंह पुत्र मुन्नालाल उर्फ देवपाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम घण्डुवा थाना खन्ना जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 चेतराम
2. हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.10.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैटरी सहित 02 अवैध तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत चोरी की घटनाओं में प्रभावी अंकुश तथा अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 विनोद कुमार सिंह व उ0नि0 हार्दिक सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने चोरी की घटना में संलिप्त 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 04 अदद बैटरी बरामद की गई है इन गिरफ्तार अभियुक्तों में से शिवम राजपूत के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज 2.अभियुक्त शरद कुमार वाल्मीकि के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज 3.अभियुक्त शिवा वाल्मीकि के कब्जे से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व 4.अभियुक्त सुनील के कब्जे से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 04 अदद बैटरी की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 229/24 धारा 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से हुए अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर क्रमशः मु0अ0स0 230/24, मु0अ0स0 231/24, मु0अ0स0 232/24 व मु0अ0स0 233/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद चोरी की बैटरी के सम्बन्ध में पूछताछ के आधार पर जनपद के अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह 2. उ0नि0 हार्दिक सिंह
3. का0 अंशुल कुमार 4. का0 आशीष कुमार 5. कां0 चालक चन्दन पांचाल

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1.शिवम राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मुहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा हाल पता ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा 2.शरद कुमार बाल्मीकी उर्फ भज्जू पुत्र परमलाल उम्र 28वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा 3.शिवा बाल्मीकि उर्फ छोटू पुत्र जीतेन्द्र वाल्मीकि उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा 4.सुनील यादव पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

अभियुक्तगण से हुई बरामदगी–

अभियुक्त गण के कब्जे से 04 अदद ई.रिक्शा/ट्रैक्टर बैटरी व 02 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने किया पटाखा दुकानों का निरीक्षण, दिया सभी मानकों व नियमों के पालन का निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी आने वाले दशहरा एवं दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांकः- 04.10.2024 को उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुराग प्रसाव व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के द्वारा संयुक्त रुप से थाना महोबकंठ क्षेत्र के पटाखा फैक्ट्री/ आतिशबाजी की दुकानों में पहुंचकर सुरक्षा मानकों को परखा गया इस दौरान वहां मौजूद अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर पूर्ण करने एवं सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर पटाखा/ आतिशबाजी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि पटाखा फैक्ट्री में भंडारण से जुड़े मानकों व नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। इसमें शिथिलता बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

त्यौहारों को लेकर भी दिए निर्देश-

इस दौरान आगामी त्यौहार जैसे नवरात्रि, दशहरा, मूर्ति विसर्जन, दीपावली आदि त्यौहारों के दृष्टिगत भी समीक्षा कर शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम एलर्ट मोड पर, आतिशबाज की दुकानों एवं दुर्गा पण्डालों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी आने वाले दशहरा एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर अग्निशमन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है साथ ही जनपदवासियों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने उद्देश्य से आज दिनांक- 05.10.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा थानाध्यक्ष चरखारी गणेश गुप्ता के साथ संयुक्त रुप से जनपद के तहसील चरखारी क्षेत्र में स्थापित लाइसेंस धारक स्थाई आतिशबाजी की दुकानों में पहुंचकर सुरक्षा मानकों को परखा गया इस दौरान वहां मौजूद अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर पूर्ण करने एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में दिनांक- 04.10.2024 को जनपद महोबा मुख्यालय अवस्थित दुर्गा पण्डालों में अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया एवं मानक के अनुरुप पण्डालों को लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वहां मौजूद आयोजकों को जागरुकता पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया, अग्निशमन उपकरण लगाने हेतु एवं सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 02 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य व उ0नि0 अंकित सिह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.संजय पुत्र मूरतध्वज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम इटैलियाबाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर 2.रोहित पुत्र रामगोपाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम इटैलियाबाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर जिनके कब्जे से एक-एक अदद तमंचा 315 बोर व एक-एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए कस्बा पनवाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 249/2024 व मु0अ0सं0 250/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य 2. उ0नि0 अंकित सिह चौहान
3. का0 देवेन्द्र राजपूत 4. का0 मनोज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संजय पुत्र मूरतध्वज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम इटैलियाबाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2. रोहित पुत्र रामगोपाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम इटैलियाबाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर